बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

09 मार्च, 2021

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

कुल प्रश्न 19

संख्या में कमी

*217 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

उद्योग :-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवकों को उद्यमिता से जोड़ने हेतु राज्य में वर्षों से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना चलाई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के लिए प्राप्त 4,5631 आवेदनों में से 4868 आवेदन को स्वीकृत करते हुए 3641 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया, दूसरी किस्त मात्र 134 लोगों को दी गई और अंतिम किस्त सिर्फ 11 लोगों को दी जा सकी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लाभुकों की संख्या में कमी होने का क्या औचित्य है?

अवैध निर्माण पर रोक

*218 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

विधि :-

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पूरे बिहार के सार्वजनिक स्थानों एवं मुख्य सड़क के पास अनधिकृत रूप से मंदिरों / मठों का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है और कराया भी जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रकार से अवैध तरीके से सरकारी भूमि या सार्वजनिक स्थानों पर मंदिरों / मठों का निर्माण होने से वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है साथ ही मंदिर के नाम पर निर्वाध बिजली का उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में इस प्रकार के अवैध तरीके से निर्माण कराए गए और कराए जाने वाले मंदिरों / मठों को अपने अधीन करने एवं बगैर जिला समाहर्ता की अनुमति के बगैर इस प्रकार के मंदिर निर्माण पर रोक लगाना चाहती है?

कटौती पर विचार

***219 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत विनियामक आयोग के नियमानुसार बिजली कम्पनी स्वीकृत लोड से अधिक लोड खपत पर जुर्माना वसूल सकती है तथा पूरा फिक्स चार्ज तभी वसूला जायेगा जब 24 घंटे में कम से कम 21 घंटे बिजली सप्लाई हुई हो;

(ख) क्या यह सही है कि बिजली कम्पनी ने लोड से अधिक लोड खपत पर जुर्माना वसूलना तो शुरू कर दिया है परन्तु वह उपभोक्ताओं को यह नहीं बता रही कि उसने प्रतिदिन 21 घंटे की सप्लाई दी या नहीं और यदि नहीं दी तो उस अनुपात में बिजली के फिक्स चार्ज में कितने प्रतिशत की कटौती की गई;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को यह जानकारी देगी कि उन्हें 21 घंटे की बिजली सप्लाई दी गई या नहीं और 21 घंटे से कम बिजली सप्लाई देने की स्थिति में फिक्स चार्ज में कटौती का विचार रखती है?

कार्रवाई कबतक

***220 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड में बटपार इंडियन गैस एजेंसी के पास बांस के खंभों के द्वारा बिजली खींची गयी है जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है;

(ख) क्या यह सही है कि इसकी टेलीफोन द्वारा सूचना मैंने कार्यपालक अभियंता, ऊर्जा विभाग, जमुई एवं कनीय अभियंता, चकाई को कई बार दी, इसके बावजूद भी विद्युत पोल नहीं गाड़ा जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बटपार इंडियन गैस एजेंसी के पास बिजली पोल गड़वा कर दोषी विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

चहारदीवारी का अभाव

*221 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

विधि :-

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत शाम्हो-अकहा, कुरहा-अंचल, थाना-शाम्हो के अंतर्गत बिजुलिया ग्राम में धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित एक मंदिर (बाबा ब्रह्मदेवता) चहारदीवारी के अभाव में खुले रूप में है; इसके लिए कई बार सरकार एवं प्रशासन से अनुरोध ज्ञापित किया गया है, बावजूद अभी तक चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की चाहरदीवारी करवाने का विचार रखती है, हां तो कबतक?

भुगतान कबतक

*222 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राजवंशी नगर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटना में लगभग एक दर्जन डाक्टरों का MACP, प्रोन्नति एवं अन्य कई प्रकार के भत्ते बकाया हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन डाक्टरों के द्वारा कई बार इसकी मांग की गई है, परन्तु विभिन्न स्तरों पर लालफीताशाही के कारण इनके उक्त बकाए का भुगतान वर्षों से नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि ज्यादा बकाया हो जाने पर सरकार को अनुपूरक बजट लाकर उसके भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ती है;

(घ) उपरोक्त खण्डों के आलोक में सरकार कब तक डाक्टरों के बकाये का भुगतान करेगी तथा इस विलंब के दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कौन-सी कार्यवाही सरकार करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

कानूनी कार्रवाई

***223 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि फर्जी एवं संदेहास्पद कागजात के आधार पर नवादा जिला के नरहट ग्राम में हर घर नल जल योजना की निविदा प्राप्त करने के लिए दोषी निविदाकार को आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी नियमानुसार निविदा में शपथ-पत्र इसलिए प्राप्त किया जाता है कि संलग्न कागजातों के फर्जी प्रमाणित हो जाने पर दोषी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी, परन्तु प्रश्नगत मामले में दोषी को मात्र भविष्य की निविदा के लिए काल्पनिक दंड दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व विधायक श्री अनिल सिंह ने संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को दिनांक – 01.01.2021 को पत्र लिखकर शिकायत की है कि नवादा के कार्यपालक अभियंता की प्रश्नगत संवेदक से मिलीभगत है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं फर्जी कागजात के आधार पर उसे नवादा जिला में अनेक कार्य आवंटित कर दिए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई कबतक

***224 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के विभिन्न प्रखंडों में घरेलू बिजली कनेक्शन हेतु वहां की जनता द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा एक निश्चित समय सीमा तय की गयी है जिसके अंदर ही आवेदन का निष्पादन किया जाना है;

(ग) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत कनेक्शन में अनावश्यक देरी की जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर विद्युत कनेक्शन देने एवं विलंब करने वाले पर कार्रवाई करने का विचार करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्युत प्रमंडल

***225 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि नवसृजित रजौली विद्युत प्रमंडल में नवादा जिला के नारदीगंज और हसुआ प्रखंडों को भी शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि रजौली से नारदीगंज 55 कि.मी. तथा हसुआ 45 कि.मी. है, जबकि नवादा विद्युत प्रमंडल से नारदीगंज 25 कि.मी. तथा हसुआ 15 कि.मी. दूर हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इस अव्यावहारिक संबंधन से नारदीगंज एवं हसुआ के विद्युत उपभोक्ताओं और संबद्ध लोगों को रजौली जाने के लिए कठिनाई उठानी पड़ती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नारदीगंज एवं हसुआ प्रखंडों को नवादा विद्युत प्रमंडल में शामिल करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई पर विचार

***226 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि हर घर नल का जल योजना की पूरी जानकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिलास्तरीय अभियंताओं को नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने समीक्षा के दौरान हाजीपुर अवर प्रमंडल के सभी अभियंताओं का वेतन अगले आदेश तक इसलिए रोक दिया, क्योंकि उन्हें हर घर नल का जल जिला योजना की कोई जानकारी नहीं थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी जिला स्तरीय अभियंताओं को इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अद्यतन रूप से उपलब्ध कराने तथा योजना की जानकारी नहीं रखने वाले लापरवाह अभियंताओं पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक?

कनेक्शन कब तक

***227 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बिजली के मोटर से हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए बिजली कंपनी की भी भागीदारी होगी, प्लांटवार सर्वे के अनुसार बिजली कंपनी भी कृषि फीडर लगाने के लिए अपना प्लान तैयार करेगी और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी;

(ख) क्या यह सही है कि कृषि कार्यों के लिए बिजली की दर 65 पैसे प्रति यूनिट है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि कार्यों के लिए कितने किसानों ने बिजली लेने के लिए 31 दिसम्बर 2020 तक आवेदन दिया है, अब तक कितने किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवेदकों को बिजली का कनेक्शन शीघ्र देना चाहती है?

विचार कब तक

***228 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि खगडि़या जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड की ग्राम पंचायत सौढ़ दक्षिणी के ग्राम भरतखंड डयोढ़ी में राजेन्द्र प्रसाद औषधालय (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1955-56 में बना था जिसमें डॉक्टर्स क्र्वाटर एवं स्टाफ क्र्वाटर बना हुआ है परन्तु वहां पर न तो डॉक्टर हैं न तो नर्स है;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर एवं नर्स नहीं रहने के कारण लगभग 1.5 लाख की आबादी को स्वास्थ्य लाभ से वंचित होना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुचारु रूप से चलाने हेतु डॉक्टर एवं नर्स की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

मिल चलाने की योजना

***229 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

उद्योग :-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि 1986 में मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल औधोगिक क्षेत्र में सूत मिल की स्थापना की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मिल में लगभग 20 करोड़ की लागत से नवीनतम तकनीक की मशीनें तथा आधारभूत संरचना तैयार कर उत्पादन शुरू हुआ था;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिल कई वर्षों से बंद पड़ी है तथा प्रशासनिक लापरवाही, विभागीय उदासीनता के कारण उक्त मिल में अवस्थित मशीन के कई महत्वपूर्ण पार्ट तथा कल-पुर्जे चोरी-चकारी के शिकार हो गए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताएगी कि उक्त मिल को नये सिरे से चलाने की कोई योजना विचाराधीन है और नहीं तो क्यों?

पूर्ण करने का विचार कब तक

***230 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड अंतर्गत मोहनाचांदपुर (प्रतापगंज) में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए मौजा- मोहनाचांदपुर खाता सं.- 188 खेसरा सं.- 1591 रकबा- 1 बीघा जमीन अर्जित है;

(ख) क्या यह सही है कि अर्जित भूमि पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पक्का भवन बनाया गया परन्तु किसी कारणवश भवन अधूरा रह गया जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार उक्त अर्धनिर्मित पक्के भवन को पूर्ण करने का विचार करना चाहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सहायता प्रदान

***231 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

उद्योग :-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2020 लागू कर जिलों में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि अब तक कितनी सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है और इससे कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है?

चिकित्सा सुविधा

***232 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिले के प्रखंड मखदुमपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत पश्चिमी सरेन के ग्राम सरेन में 6 (छः) बेड वाला अस्पताल का भवन वर्ष, 2014 में बनकर तैयार हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अस्पताल का भवन तैयार होने के बावजूद आज तक चिकित्सक एवं कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित ग्राम पिछड़ा एवं दलित बाहुल्य क्षेत्र है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में चिकित्सक एवं कर्मचारियों का पदस्थापन कराते हुए यहां चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब?

ब्लड बैंक की सुविधा

***233 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सरोजा सीताराम सदर अस्पताल, शिवहर में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण रोगियों का ऑपरेशन नहीं किया जाता है और उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में 4 वेंटिलेटर महीनों से बेकार पड़े हुए हैं जिसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि बी.एम.आर.बी.एल. द्वारा अस्पताल परिसर में चिकित्सकों और नर्सों के लिए वर्षों पूर्व निर्मित सभी आवास में बिजली, पानी एवं मरम्मती के अभाव में आवास खाली पड़े हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ब्लड बैंक की सुविधा चारों वेंटिलेटर को चालू एवं आवासों में पानी, बिजली एवं मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बकाया का भुगतान

***234 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

गन्ना उद्योग :-

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं शिवहर जिले का एकमात्र रीगा चीनी मिल या डिस्टिलरी डिविजन है जो वर्तमान सत्र में बंद पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि चीनी मिल प्रबंधन इथेनॉल बनाकर इस क्षेत्र के किसानों के खाते में बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान करने पर कटिबद्ध है एवं डिस्टिलरी चालू नहीं होने से कर्मचारियों का वेतन बंद है;

(ग) क्या यह सही है कि रीगा चीनी मिल परिक्षेत्र के किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया गया, जबकि मार्च 2018 से चीनी मिल का गोदाम बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था तथा एक बैंक खाता नं०- 206 को खोला गया कि किसानों का बकाया का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा, परन्तु आज तक किसानों के बकाया का भुगतान नहीं किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के बकाया का भुगतान एवं डिस्टिलरी चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रशासनिक कार्रवाई

***235 श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक – 2355, दिनांक – 27.09.2016 के प्रसंग में सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक – 690(10), दिनांक – 17.07.2017 के द्वारा मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, बिस्कोमान भवन, पटना को सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड स्थित धबौली पश्चिम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण हेतु रु० 1,22,77,500/- की स्वीकृति दी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि पत्रांक – 2355, दिनांक – 27.09.2016 के द्वारा उक्त राशि की स्वीकृति महाप्रबंधक (परियोजना), स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा भी दी गयी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मात्र नौ माह में ही संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण करना था, जिसका कार्य दो वर्ष बीत जाने पर भी अबतक अधूरा पड़ा है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को श्री निर्मल प्रसाद सिंह के द्वारा दिनांक – 12.06.2020 एवं दिनांक – 27.08.2020 को पत्र के माध्यम से दी गयी है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर इसमें संलिप्त दोषी पदाधिकारी के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड स्थित धबौली पश्चिमी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

भवन को यथाशीघ्र पूर्ण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?